

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

पत्रांक-01/विकास-यो०/16386/2026 1677/20570 पटना, दिनांक- 11 सितम्बर 2026

आदेश

गन्ना उद्योग विभाग, बिहार सरकार द्वारा संचालित गन्ना यंत्रिकरण योजना (2026-27) के अंतर्गत विभाग द्वारा निर्गत परमिट के आधार पर लाभुक किसानों को विभिन्न कृषि यंत्रों की बिक्री पंजीकृत डीलरों के माध्यम से की जानी है। योजना के अंतर्गत वितरित यंत्रों की स्पष्ट पहचान, पारदर्शिता एवं भविष्य में भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्न निदेश जारी किए जाते हैं।

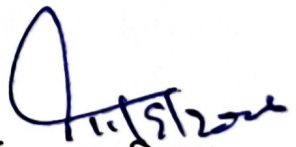
1. गन्ना यंत्रिकरण योजना (2026-27) के अंतर्गत गन्ना उद्योग विभाग, बिहार द्वारा निर्गत परमिट के आधार पर किसी भी लाभुक को कृषि यंत्र की बिक्री करने से पूर्व संबंधित डीलर के लिए यंत्र पर निम्नलिखित विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा :-

बिहार सरकार

गन्ना उद्योग विभाग

गन्ना यंत्रिकरण योजना (2026-27) के अंतर्गत वित्त प्रदत्त

2. उक्त विवरण को यंत्र पर मेटल प्लेट पर उकेरकर/खुदवाकर एवं मजबूती से लगाकर अथवा अन्य किसी ऐसी स्थायी एवं अविच्छेद्य माध्यम से अंकित किया जाएगा, जिससे उसे भविष्य में आसानी से हटाया, मिटाया अथवा परिवर्तित न किया जा सके।
3. मेटल प्लेट को यंत्र के उपयुक्त एवं स्पष्ट दिखाई देने वाले स्थान पर मजबूती से लगाया जाए।
4. डीलर यह सुनिश्चित करेंगे कि उपर्युक्त विभागीय विवरण यंत्र की बिक्री एवं लाभुक को सुपुर्दगी से पहले ही अंकित किया जा चुका होगा।
5. सभी सहायक निदेशक ईख विकास अपने-अपने क्षेत्राधीन डीलरों को उक्त आदेश से अवगत कराते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा योजना के अंतर्गत वितरित यंत्रों के सत्यापन के दौरान स्थायी अंकन की भी जाँच करेंगे।


ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या-01/विकास-16386/2026-1677/20570 पटना, दिनांक- 11 सितम्बर, 2026

प्रतिलिपि- महाप्रबंधक, राज्य में कार्यरत सभी चीनी मिल/सभी सहायक निदेशक ईख विकास/सुमेक पोर्टल पर पंजीकृत सभी यंत्र विक्रेता एवं यंत्र निर्माता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या-01/विकास-16386/2026-1677/20570 पटना, दिनांक- 14 सितम्बर, 2026

प्रतिलिपि- सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


ईखायुक्त, बिहार।